उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517-2003-04

डा. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
रीडर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय
लखनऊ

आवास :
3/5 विजयन्त खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010
9415222859, 9651222859
E-mail : hkr.jndc@gmail.com
Website : www.fupuctareg.org

दिनाँक 25·04·2017

सेवा में,

माननीय उप मुख्यमंत्री
एवं उच्च शिक्षा मंत्री
उत्तर प्रदेश, सरकार
लखनऊ।

आदरणीय महोदय,

प्रदेश के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अनेक समस्याए काफी समय से लम्बित हैं। समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में शासन या सरकार के स्तर पर तत्कालीन सरकार द्वारा कभी कोई बैठक आयोजित कर वार्ता न किये जाने के कारण भारी गतिरोध बना हुआ है। परिणाम स्वरूप प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में भारी निराशा एवं चिन्ता का वातावरण निर्मित हो रहा था। वर्तमान सरकार के सत्तासीन होने और आपको उच्चशिक्षा विभाग का मंत्री बनाये जाने के बाद से शिक्षकों में अपनी समस्याओं के समाधान हेतु एक नई आशा का संचार हुआ है। अनेक मांगे ऐसी हैं जिनमें सरकार पर कोई विशेष वित्तीय भार भी निहित नहीं होने वाला है। मेरा निश्चित मत है कि यदि कोई सकारात्मक वार्ता होती है तो माँग–पत्र में उल्लिखित अनेक समस्याओं का निराकरण स्वतः हो जायेगा। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय–महाविद्यालय शिक्षक महासंघ शिक्षकों का एक मात्र **पंजीकृत संगठन** है। महासंघ के पदाधिकारीगण शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में आपके साथ वार्ता किये जाने की महती आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। मांग पत्र संलग्न है।

उ0प्र0 विश्वविद्यालय–महाविद्यालय शिक्षक महासंघ आपको उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री बनाये जाने पर पुनः हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता है तथा वर्ष 2009 के पूर्व शोध उपाधिकारी अभ्यर्थियों को नेट से छूट प्रदान करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। ऐसे निर्णय ही कल्याणकारी सरकार के द्योतक है जिसकी शुरूआत आपने की है स्वागत योग्य है तथा शिक्षक समुदाय आपका आभारी है।

आपसे अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर महासंघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें।

भवदीय

(डॉ0 हरेन्द्र कुमार राय)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517-2003-04

डा. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
रीडर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय
लखनऊ

आवास :
3/5 विजयन्त खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010
9415222859, 9651222859
E-mail : hkr.jndc@gmail.com
Website : www.fupuctareg.org

माँग पत्र के प्रमुख बिन्दु

1. दिनाँक 1 अप्रैल 2005 व उसके पश्चात् नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय। भारतीय जनता पार्टी सैद्धान्तिक रूप से पुरानी पेंशन योजना की पक्षधर भी है और मध्य प्रदेश आदि अन्य राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है अतः उ0प्र0 में भी यह व्यवस्था लागू की जाय।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या सिविल अपील 5693/2013 में पारित आदेश के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत संस्तुतियों (कम्पोज़िट स्कीम) के अन्तर्गत शिक्षकों के सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने के आदेश शीघ्र निर्गत किये जाय। भाजपा शासित अनेक राज्यों में सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश इस देश का अग्रणी राज्य है तथा यहाँ भी एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका है। इसलिए शिक्षकों की यह माँग प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी चाहिए।
3. दिनाँक 28 मार्च, 2011 को निर्गत शासनादेश तक नियुक्त मानदेय शिक्षकों को तीन वर्ष की सेवा के उपरान्त आमेलित किये जाने के लिये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 में तद्नुरूप संशोधन किये जाने के आदेश दिये जायें। तत्कालीन सरकार मानदेय शिक्षकों के साथ विगत पांच वर्षों तक आश्वासन का खेल खेलती रही और उच्च शिक्षा निदेशालय ने नियमों की जटिलता उपस्थित कर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रही। अधिकांश मानदेय शिक्षक विगत 18–20 वर्षों से कार्यरत् हैं। मौलिक पदों के सापेक्ष नियुक्त हैं। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक हैं। सरकार से अनुरोध है कि इन्हे प्राथमिकता के आधार पर समायोजित कर इनकी सेवायें विनियमित की जायें।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमन्य प्रोफेसर के पदों पर महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों के लिए भी प्रोन्नति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। आप अवगत हैं कि महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत् अधिकांश शिक्षक 20–22 वर्षों से इसी वेतनमान में कार्य कर रहे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई पदोन्नति प्रदान नहीं की जाती है। इस राज्य की किसी सेवा में कार्यरत् किसी अधिकारी/कर्मचारी को वेतन में इस प्रकार का स्थिरीकरण नहीं पाया जाता है। अतः आवश्यक है कि विगत 10 वर्षों या इससे अधिक समय से रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत् शिक्षकों को अग्रिम ग्रेड–पे रू0 10000 स्वीकृत कर पदोन्नति का एक अवसर प्रदान किया जाये।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517-2003-04

डा. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
रीडर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय
लखनऊ

आवास :
3/5 विजयन्त खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010
9415222859, 9651222859
E-mail : hkr.jndc@gmail.com
Website : www.fupuctareg.org

5. उत्तर प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की अधिनियमित सेवा नियमावली व वेतन ढाँचा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों की भांति नियमित की जाय। इन्हें भी एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति की सुविधा प्रदान किये जाने विषयक आदेश निर्गत किये जाय।
6. परीक्षा पारिश्रमिक की दरें तुरन्त संशोधित की जायें। वर्तमान में प्रचलित दरें वर्ष 2008 में इस व्यवस्था के साथ लागू की गयी थीं कि प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर परीक्षा पारिश्रमिक की दरें संशोधित की जाती रहेंगी। विगत अनेक वर्षों में विश्वविद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से परीक्षा शुल्क में 4 से 5 गुना तक बढोत्तरी की गयी परन्तु विगत 9 वर्षों में परीक्षा पारिश्रमिक की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी। अतः आवश्यक है कि परीक्षा पारिश्रमिक की दरों में परीक्षा शुल्क के सापेक्ष तत्तकाल वृद्धि की जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनाँक 25 जून, 2014 में दिनाँक 01.02.2006 से 30.06.2006 के मध्य वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले शिक्षकों को भी एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये जाय। इस प्रकरण में वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा अनौचित्यपूर्ण टिप्पणी अंकित कर इसे निरस्त कर दिया गया है। वार्ता के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी।
8. स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विशेष मानदेय क्रमशः रू0 2000 व रू0 3000 दिये जाने के आदेश दिये गये।
9. समूहिक जीवन बीमा योजना के धनराशि की सीमा राज्य कर्मचारियों/माध्यमिक शिक्षकों की भांति की जाय।
10. महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वर्षों से रिक्त लगभग 5450 पदों को उत्तर प्रदेश, उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा विशेष चयन प्रक्रिया के माध्यम से शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कराई जाय।
11. महाविद्यालयों में कार्यरत् प्राध्यापक जिन्होने अभी तक शोध उपाधि प्राप्त नहीं किया है, को उनके अनुभवों के दृष्टिगत् शोध कार्य हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं कोर्स वर्क से छूट प्रदान करते हुए पंजीकरण कराने की सुविधा अनुमन्य की जाय।
12. स्नातक स्तर पर संचालित होने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों को शोधकार्य कराये जाने की सुविधा प्रदान की जाय।
13. उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा अनुमन्य कराये जाने के आदेश निर्गत किये जायें।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517-2003-04

डा. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
रीडर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय
लखनऊ

आवास :
3/5 विजयन्त खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010
9415222859, 9651222859
E-mail : hkr.jndc@gmail.com
Website : www.fupuctareg.org

14. महाविद्यालयों में विगत अनेक वर्षों से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है। वर्तमान में लगभग एक तिहाई कर्मचारी ही सेवारत् हैं। परिणाम स्वरूप महाविद्यालयों में इस श्रेणी के कर्मचारियों के न होने के कारण कार्य एवं प्रगति प्रभावित हो रही है। अतः आवश्यक है कि महाविद्यालयों में रिक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।
15. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर तत्कालीन सरकार ने जनपद संत कबीर नगर में स्थित महाविद्यालयों को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थ नगर से सम्बद्ध कर दिया है। जनपद सन्त कबीर नगर गोरखपुर मुख्यालय से 30 किमी की दूरी पर है जबकि सिद्धार्थनगर 115 किमी दूर है। अतः जनपद सन्त कबीर नगर में स्थित महाविद्यालयों को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर से ही सम्बद्ध किया जाय।

सादर।

भवदीय

(डॉ0 हरेन्द्र कुमार राय)